

स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार सुप्रीम आदेश : नौकरशाही की सीमाएं श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं कर सकती...मालियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश रद्द

राजीव सिंहा

नहुं दिल्ली! सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई कर्मचारी स्थायी कर्मी जैसी भूमिका में लंबे समय तक काम करता है, तो समान काम के लिए समान वेतन का हकदार होता है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ, जस्टिस विक्रम नाथ और जरिटस प्रसन्ना जी वरले की पीठ ने गणियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में

माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। बायबनी विभाग के जरिये 1998 से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को विना निगम का नियमन विभाग द्वारा नियमित आदेश या निगम का मामला

कहा कि नौकरशाही की सीमाएं उन कामगारों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं किसी नौटिस लिखित आदेश या कर सकती, जिनमें लंबे समय तक मुआवजे के हटा दिया गया था।

पीठ ने कहा, नैतिक व कानूनी रूप से, जो कर्मचारी साल-दर-साल नगरपालिका की वर्तमानों को पूरे करते हैं, उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के छह महीने के भीतर सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया और नगर निगम को उन्हें 50%

पिछला वेतन देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही की सीमाएं उन कामगारों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं किसी नौटिस लिखित आदेश या कर सकती, जिनमें लंबे समय तक मुआवजे के हटा दिया गया था।

वास्तविक नियमित भूमिकाओं में लगातार काम किया है। हालांकि नगर निगम के वबट व भर्ती नियमों के अनुपालन की चित्ताओं पर विचार होना चाहिए, लेकिन इससे नियोक्ता को वैधानिक दायित्वों से युक्त नहीं किया जा सकता या न्यायसंगत अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता।



एकत्रफा बदलाव अस्वीकार्य

दूसी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की भाग I का उल्लंघन देते हुए पीठ ने कहा कि सेवा जल्दी में बदलाव समाप्त करें भी एकत्रफा बदलाव अस्वीकार्य है। नियम के अनुच्छेद से पता चलता है कि वह जानवृकार कामगारों के वैध दावों को दरकिनाम करने का प्रयत्न है, ज्ञानवृक्ष तथा जबकि नियमितीकरण व वेतन पर उल्लंघन कियारे जाने के विवादों पर उल्लंघन है। दूसरी कार्मियों जैसी भूमिकाओं में लंबे समय तक काम करने वाली के लिए समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।